न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या : 234/2011

बद्रीलाल पुत्र छोटूलाल जाति खाती निवासी भटवाडा तहसील मांगरोल जिला बारां

...वादी

♠ बनाम ♠

1. गंगासागर पुत्र रामनारायण जाति माली निवासी भटवाडा तहसील मांगरोल जिला बारां
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां

....प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादीगण : श्री अजीत कुमार जैन
वकील प्रतिवादीगण : श्री लिहाज हुसैन
दायरा दिनांकः 27.07.2011 निर्णय दिनांक : 31.12.2018

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम भटवाडा तहसील मांगरोल में खसरा नं0 191 रकबा 0.44 है0 किस्म बंजड सिवायचक बिना नाम काबिज काश्त भूमि स्थित है। जिसे वाद में विवादित आराजी कहा गया हैं। उक्त विवादित भूमि से लगवा खसरा नं0 190 रकबा 0.80 है0 भूमि नहरी स्थित है जो वादी के नाम बतौर खातेदार कृषक दर्ज है। खसरा नं0 190 व 191 की दोंनो की मेड मिली हुयी है। विवादित भूमि व वादी की भूमि का खसरा नं0 साबिक 270 था तथा पूर्व में 270 की सम्पूर्ण भूमि पर वादी का ही कब्जा था। उसी खसरा नं0 270 में से वक्त सेटलमेंट खसरा नं0 190 व 191 डाले गये है। तथा खसरा नं0 191 प्रतिवादी को सन 1980 में आवंटन किया गया है। किन्तु प्रतिवादी को इस भूमि पर कभी भी आज दिन कत दखल नही दिया गया है। क्योकि विवादित भूमि पर सदैव से वादी काबिज काश्त चला आ रहा है। वर्ष 1986 में प्रतिवादी कम 2 द्वारा प्रतिवादी कम 1 का आवंटन निरस्त करने के लिये कार्यवाही ए0डी0एम0 बारां में की गयी। प्रतिवादीगण वादी को विवादित भूमि से बेदखल करके कब्जा लेना चाहते है जिसका उनको कोई अधिकार हांसिल नही है। तथा वादी इस भूमि को अपने नाम नियमन कराने का प्रथम दृष्टया हकदार है। अतः बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की डिक्री पारित की जावें कि वादग्रस्त भूमि पर वादी को खातेदारी अधिकार घोषित किया जावें तथा नियमन कमेठी को निर्देशित किया जावे कि नियमन के पात्र होने पर विवादित भूमि वादी के नाम नियमन की जायें। यह कि प्रतिवादी को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वादी को विवादित आराजी खसरा नं0 191 रकबा 0.44 है0 वाके ग्राम भटवाडा पर शांती पूर्वक काबिज काश्त बना रहने देवें। उसके कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण न तो स्वयं किसी प्रकार की मदालखत करें ना ही अपने प्रतिनिधि से करावें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी कम 1 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी कम 1 ने न्यायालय में उपस्थित होकर जर्ये अधिवक्ता जवाब दावा व काउन्टर क्लेम पेश किया जो शामिल पत्रावली है। जवाब दावा व काउन्टर क्लेम निम्नानुसार है :–

01. वाद पत्र की मद नं0 1 आंशिक स्वीकार है। आराजी विवादित होना स्वीकार नही है।
02. वाद पत्र की मद नं0 2 में खसरा नं0 190 रकबा 0.80 है0 वादी के नाम बतौर खातेदार कृषक दर्ज होना स्वीकार है शेष मद अस्वीकार है।
03. वाद पत्र की मद नं0 3 अस्वीकार है। शेष मद विशेष आपत्तियों में दर्ज है।
04. वाद पत्र की मद नं0 4 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।
05. वाद पत्र की मद नं0 5 जिस प्रकार से लिखी है अस्वीकार है।
06. वाद पत्र की मद नं0 6 कानूनी है।
07. वाद पत्र की मद नं0 7 मनघढंत होने से अस्वीकार है।
08. वाद पत्र की मद नं0 8 व 9 कानूनी है।

विशेष कथन व काउन्टर क्लेम :– यह कि प्रतिवादी नं0 1 को ग्राम भटवाडा की आराजी खसरा नं0 270 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नं0 466 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा दिनांक 16.09.1980 को मिसल नं0 156 से आवंटन हुई थी। बाद आवंटन प्रतिवादी नं 1 को आवंटन शुदा आराजी पर कब्जा दे दिया था। तभी से प्रतिवादी बिना किसी व्यवधान के 7 बीघा 9 बिस्वा आराजी पर काबिज काश्त चला आ रहा है। और वर्तमान में भी काबिज काश्त है। वादी को आवंटन शुदा आराजी ग्राम भटवाडा के पूर्व साबिक खसरा नं0 270 से हाल खसरा नं0 191 व खसरा नं0 466 से हाल खसरा नं0 1299 दर्ज किये गये है और प्रतिवादी कम 1 का वर्तमान खसरा नं0 191 व 1299 पर कब्जा चला आ रहा है पूर्व में साबिक खसरा नं0 270 का रकबा 9 बीघा से भी ज्यादा था जिसमें से मात्र प्रतिवादी नं0 1 को 4 बीघा 6 बिस्वा आवंटन हुआ है। प्रतिवादी ने दिनांक 16.09.1980 को आराजी आवंटन होने के बाद समय–समय पर शेष राशि आवंटन की किश्ते अदा की। जिसकी पुष्टि ऑर्डर शीट आवंटन पत्रावली से होती है। व शेष राशि वादी द्वारा दिनांक 31.12.2009 को जर्ये चालान 11978 रू0 व 25 रू0 राशि दो चालानो में जमा की। प्रतिवादी नं0 1 ने दिनांक 16.09.1980 को आवंटन की गई आराजी की समस्त आवंटन राशि जमा करा दी है व वर्तमान में आवंटनशुदा आराजी के हाल खसरा नं0 191 व 1299 पर आवंटन के समय से ही काबिज काश्त चला आ रहा है इसलिये वादी उक्त नम्बरान को खातेदारी में दर्ज करवाने का अधिकारी है। अतः जवाब दावा व काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज करते हुये व वादी का काउन्टर क्लेम स्वीकार करते हुये इस आशय की डिकी पारित की जावें कि

वादी को दिनांक 16.09.1980 को मिसल नं0 156 से आवंटन शुदा आराजी पूर्व साबिक खसरा नं0 270 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नं0 466 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा जिसके हाल खसरा नं0 191 व खसरा नं0 1299 पर वादी को खातेदारी अधिकार दिये जावें व राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम खातेदार की हैसियत से दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करें। व वादी को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावें कि वह प्रतिवादी नं0 1 के पूर्व साबिक खसरा नं0 270 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा व साबिक खसरा नं0 466 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा ग्राम भटवाडा तहसील मांगरोल पर प्रतिवादी नं0 1 को काश्त करने में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नही करें।

वादी द्वारा काउन्टर क्लेम का जवाबुल जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली है। वादी द्वारा निम्न जवाब उल जवाब पेश है:–

01. यह कि काउन्टर क्लेम की मद नं0 1 अस्वीकार है।
02. यह कि काउन्टर क्लेम की मद नं0 2 अस्वीकार है। निवेदन है कि मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2044 से 2063 दो साबिक खसरा नं0 270/1 मिन का हाल खसरा नं0 190 रकबा 0.81 है0 तथा खसरा नं0 270 मिन रकबा 9 बीघा 6 बिस्वा का हाल खसरा नं0 191 रकबा 0.43 है0 दर्ज किया गया। वादी उक्त दोनो आराजी खसरा नंम्बरान पर काबिज हो काश्त कर रहा है। वादी का उक्त आराजी पर करीब 50 वर्ष से कब्जा चला आ रहा है।
03. यह कि काउन्टर क्लेम की मद नं0. 3 अस्वीकार है। प्रतिवादी ने उक्त भूमि कभी भी काश्त नही की है। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बारां मिसल नं0 93/86 निर्णय दिनांक 29.04.1986 में उक्त भूमि अप्रार्थी को कब्जा नही देने तथा काश्त नही करने बाबत् रिकार्ड पत्रावली पर नही होने से प्रतिवादी को कब्जा नही मानते हुये लिखा गया।
04. यह कि काउन्टर क्लेम की मद नं0 4 अस्वीकार है। जिस भूमि पर प्रतिवादी का कब्जा ही नही है वह किसी भी प्रकार से उक्त भूमि के बाबत् खातेदारी व गैर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने पर अधिकार प्रतिवादी को नही है।
05. यह कि काउन्टर क्लेम की मद नं0 5 अस्वीकार है। वादी को न्यायालय तहसीलदार मांगरोल से धारा 91 के नोटिस लगातार प्राप्त होते आ रहे है। इसलिए प्रतिवादी का यह कहना कि उक्त भूमियां मेंरे कब्जे में है। गलत व असत्य कथन है।
06. यह कि काउन्टर क्लेम की मद नं0 6 अस्वीकार है। काउन्टर क्लेम बिना किसी कारण के प्रस्तुत किया गया है।
07. यह कि काउन्टर क्लेम की मद नं0 7 अस्वीकार है।

काउन्टर क्लेम प्रतिवादी अस्वीकार है और कथन है कि वादी का वाद मुताबिक प्रार्थना पत्र डिक्री किया जाकर प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम निरस्त फरमाया जावें।

वाद पत्र व जवाब दावा काउन्टर क्लेम तथा जवाबुल जवाब के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई।

01. आया ग्राम भटवाडा की खसरा नं0 191 रकबा 0.44 है0 बंजड सिवायचक दर्ज है। वादी
02. आया खसरा नं0 190 रकबा 0.80 है0 वादी की खातेदारी में है तथा खसरा नं0 190 व 191 पर वादी का कब्जा काश्त है। वादी
03. आया खसरा नं0 191 प्रतिवादी नं0 1 को 1980 में आवंटन हुआ लेकिन उसका कब्जा काश्त नही रहा है। वादी
04. आया वादी की खसरा नं0 191 पर काश्त नही है। तथा उस पर प्रतिवादी का ही कब्जा काश्त है। प्रतिवादी
05. आया साबिक खसरा नं0 270 का रकबा सेटलमेंट से पूर्व में अधिक नही था। प्रतिवादी
06. आया प्रतिवादी को 16/9/80 में खसरा नं0 270 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नं0 466 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा भूमि आवंटन दर्ज है जबसे प्रतिवादी लगातार काबिज काश्त है। प्रतिवादी

वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में पीडब्ल्यू 1 स्वयं बद्रीलाल, पीडब्ल्यू 2 रामकरण, पीडब्ल्यू 3 नन्दलाल के मौखिक साक्ष्य के शपथ–पत्र पेश किऐ जो शामिल पत्रावली है, तथा दस्तावेजी साक्ष्य में:–

प्रदर्श 1 ता 20:– रसीदे जुर्माना धारा 91 आर0एल0आर0एक्ट है।

प्रदर्श 1 ता 35:– नोटिस धारा 91 आर0एल0आर0एक्ट है।

प्रदर्श 36:– नकल पी–14 जमाबंदी है।

प्रदर्श 37:– राजस्व नजरी नक्शा है।

प्रदर्श 38:– वादी के खाते की नकल है।

प्रदर्श 39:– खसरा नं0 191 रकबा 0.44 है0 बंजड भूमि सरकार खाता दर्ज है।

प्रदर्श 40:– नजरी नक्शा साबिक खसरा नं0 270 व 271/1 है।

प्रदर्श 41:– हाल खसरा नं0 का मिलान क्षेत्रफल ग्राम भटवाडा है।

प्रदर्श 42:– नोटिस धारा 80 सी0पी0सी0 है।

प्रतिवादी क्रम 1 की ओर से कोई साक्ष्य पेश नही होने पर कोई दस्तावेज प्रदर्श नही हुआ है, तथा प्रतिवादी की साक्ष्य बंद की गई है।

वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गयी प्रस्तुत सभी प्रदर्श दस्तावेजो का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। बयान वादी को भी पढा गया। वकील वादी की बहस व दस्तावेजानुसार निम्न प्रकार से तनकी पर निर्णय दिया जा रहा है :–

तनकी नं0 1– इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है वादी स्वयं व वादी के गवाहान पीडब्लयू 2 व पीडब्ल्यू 3 से इस आराजी को सरकारी भूमि बताया है तथा कब्जा वादी बद्रीलाल का बताया है वकील वादी ने अपनी बहस में बताया कि प्रदर्श 39 जमाबंदी ग्राम भटवाडा के खाता संख्या 1 में दर्ज आराजी खसरा नं0 141 रकबा 0.44 है0 किस्म बंजड राजस्थान सरकार के खाते में दर्ज है जो सिवायचक/बिलानाम काबिज काश्त है, प्रदर्श–9 से साबित है कि आराजी खसरा नं0 191 राज0 सरकार के खाते में दर्ज है। अतः यह तनकी वादी के पक्ष में प्रतिवादी क्रम 1 के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बरान 2 व 3:– तनकी नं0 2 व 3 को साबित करने का भार वादी पर है बार–बार शब्दो का प्रयोग न करना पडे इसलिए दौनो तनकीयों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है।

वकील वादी ने बताया है कि प्रदर्श 37 खाता संख्या 211 में आराजी खसरा नं0 190 रकबा 0.80 है0 ग्राम भटवाडा वादी बद्रीलाल के खाते में दर्ज हो रही है, इस आराजी पर गवाहान पीडब्ल्यू 1, पीडब्ल्यू 2 व पीडब्ल्यू 3 ने भी वादी बद्रीलाल का कब्जा काश्त बताया है, आराजी खसरा नं0 191 रकबा 0.44 है0 किस्म बंजड राजस्थान सरकार के खाते में दर्ज है। इस आराजी को अतिक्रमी नोटिस प्रदर्श 1 ता 35 वादी बद्रीलाल के नाम से तहसीलदार मांगरोल ने जारी किये है, तथा नोटिस की पालना में वादी द्वारा जुर्माना जमा किया गया है जिनकी रसीदे प्रदर्श 1 ता 20 है गवाहन के बयान तथा नोटिस धारा 91 प्रदर्श 1 ता 35 व जुर्माना रसीद प्रदर्श 1 ता 20 की रोशनी में वकील वादी ने खसरा नं0 191 रकबा 0.44 है0 पर वादी का कब्जा साबित बताया है, यह भी बहस में कहा कि प्रतिवादी इस खसरा नम्बर पर काबिज होता तो वादी को नोटिस प्राप्त नही होते, न्यायालय वकील वादी की बहस से सहमत होकर तनकी नं0 2 व 3 का निर्णय वादी के पक्ष में प्रतिवादी नं0 1 के विरूद्ध किया जाता है।

तनकी नं0 4:– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी क्रम 1 पर था, प्रतिवादी क्रम 1 की ओर से कोई साक्ष्य पेश नही की गई है, और न ही कोई दस्तावेज प्रदर्श करवाया है वकील वादी का दौराने बहस कथन है कि खसरा नं0 191 रकबा 0.44 है0 आराजी पर वादी का ही कब्जा है, इसलिए वादी को धारा 91 आर0एल0आर0एक्ट0 के नोटिस प्राप्त होते रहे है, और आज भी खसरा नं0 191 की आराजी सिवायचक

जाता है जिस पर प्रतिवादी कम 1 का कब्जा न होकर वादी का कब्जा काश्त है। अतः तनकी नं0 4 वादी के पक्ष में प्रतिवादी कम 1 के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 5 व 6:- इन दौनो तनकीयों को साबित करने का भार प्रतिवादी कम 1 पर था, लेकिन प्रतिवादी कम 1 ने किसी भी दस्तावेज को प्रदर्श नही कराया है, आराजी आवंटन होकर प्रतिवादी कम 1 के खाते में दर्ज हो ऐसा भी कोई दस्तावेज नही है, तनकी नं0 1, 2 व 3 पूर्व में ही वादी के पक्ष में निर्णित की जा चुकी है, अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार तनकी नं0 5 व 6 का निर्णय प्रतिवादी कम 1 के विरूद्ध किया जाता है।

दादरसी:- वादी खसरा नं0 191 रकबा 0.44 है0 किस्म बंजड ग्राम भटवाडा को कब्जे के आधार पर अपने खाते दर्ज कराना चाहता है, आराजी राजस्थान सरकार के खाते में दर्ज है जिसको आवंटन करने का पृथक से प्रावधान है दौराने आवंटन कमेटी शर्तो के अनुसार व्यक्तियों को भूमि का आवंटन करती है, तनकी नं0 1, 2 व 3 वादी के पक्ष में निर्णित होने से वादी का आराजी पर कब्जा साबित है। आराजी राजस्थान सरकार के खाते में दर्ज होने से वादी को खाते दर्ज नही की जा सकती अतः वाद वादी खारिज किया जाता है, **लेकिन न्यायालय द्वारा वादी के कब्जे को देखते हुऐ यह आदेश दिया जाता है कि वक्त आवंटन आराजी वादी को खसरा नं0 191 के संबंध में प्राथमिकता दी जावें।** पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2018 को सरेईजलास मजमेंआम में सुन